

प्रिय,

उपरोक्त लिह  
विशेष सचिव  
3040 शासन।

नया में,

निर्देशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
3040, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:-शहरी गरीबी के लिये अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4740/156/10/छ:/विविध/आसरा/तकनीकी(ललितपुर-ललितपुर-300) दिनांक 20 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियाँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-ललितपुर की निकाय-ललितपुर की 132 आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹ 660.77 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ₹ 330.385 लाख (रूपये तीन करोड़ तीस लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र० सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों अथवा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लाभार्थियों अथवा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों के लाभार्थियों के आवासों की संख्या।	प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7	
1	ललितपुर/ललितपुर	300	1501.75	132	660.77	330.385	
योग				132	660.77	330.385	

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

यु. आर. श्री अतुल, पी०


-2/

FC  
माता

4. उक्त धनराशि धारण/परियोजना सूचना एवं सम्बन्धित प्रकार/राज्य स्तरीय सम्बन्धित समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों का अंशानुसार उपयुक्तनुसार निर्धारित मूल में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परिधान/मानकीकरण होकर, सम्बन्धित सर्व स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि डिमांड/मद में स्वीकृत की जा रही है, इसका व्यय प्रायः 25% में इसी कार्य/कार्य में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का उच्च वित्तीय निधनों के अनुसार किया जायेगा। परियोजना पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करवाई जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्कैलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किया जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्तर से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की दिसवृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 50प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 50प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/ड्राकघर/डिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।
14. उक्त धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात् तथा उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र


शासन को समय में उपलब्ध कराया जाएगा। तदनुसार योजना को अवशेष/द्वितीय क्रियत को धनराशि अनुसूचना की जायेगी। निर्धारित अर्थों का धन अनुसूचित धनराशि बटे कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस कराया होगा।

15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद को वर्कअउट पर अपनी सखी का मिलान महालेखाकार को उपरोक्त के लिये सौ अक्षर करायेगे।
16. परियोजना से सम्बन्धित डिमांड ड्रॉइंग में क्याव्यवस्था धनराशि अनुसूचना कार्ड से पूरा अनुसूचना (एम०ओ०यू०) निर्धारित क्रिये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित ड्रा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदादा संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-800-अन्य व्यय-03-आसरा योजना (आवासीय भवन)-24-वृहद निर्माण कार्य" के ताले डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-ई-8-1808/दस-2015 दिनांक 23 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।

संख्या-561/2015/627(1)/69-1-15, तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
  2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
  3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
  4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, ललितपुर।
  5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन।
  6. नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
  7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
  10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।